प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 101/ 2025)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादविप्रा ने 'अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए चिन्हित आवृत्ति बैंडों में रेडियो आवृति स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली 30 सितंबर 2025 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ने 'अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए चिन्हित आवृत्ति बैंडों में रेडियो आवृति स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 15.05.2025 के पत्र के माध्यम से भादूविप्रा अधिनियम 1997 के खंड 11(1)(क) की शर्तों के तहत भादूविप्रा को अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए चिन्हित आवृत्ति बैंड में रेडियो आवृति स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए भादूविप्रा की अनुशंसायें मांगने के लिए एक संदर्भ भेजा। दिनांक 15.05.2025 के संदर्भ के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित जानकारी दी:

(क) 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज और 37-37.5 गीगाहर्ट्ज, 37.5-40 गीगाहर्ट्ज और 42.5-43.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में रेडियो आवृति स्पेक्ट्रम की नीलामी पर दूरसंचार विभाग के दिनांक 02.08.2023 के संदर्भ के उत्तर में भादूविप्रा ने 01.09.2023 को अपनी अनुशंसायें प्रदान की थीं। भादूविप्रा की अनुशंसाओं के आधार पर सरकार ने जून 2024 के दौरान 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित की।

(ख) 2024 में आयोजित हुई नीलामी में 600 मेगाहर्ट्ज बैंड को नीलामी के लिए नहीं रखा गया था क्योकि यह बैंड 2022 के दौरान आयोजित नीलामी में नहीं बेचा गया था, इस बैंड के लिए उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और केवल कुछ देशों ने अपने सार्वजनिक नेटवर्क में 600 मेगाहर्ट्ज

तैनात किया। आईटीयू रेडियो विनियमों में भी आईएमटी के लिए क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर इस बैंड की पहचान नहीं की गई है। इसलिए दूरसंचार विभाग ने इस बैंड को नीलामी के लिए रखने से पहले भादूविप्रा की नई अनुशंसाएं प्राप्त करने का निर्णय लिया है।

(ग) 6425-7125 मेगाहर्ट्ज रेंज में कुल 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में से 6425-6725 मेगाहर्ट्ज (300 मेगाहर्ट्ज) और 7025-7125 मेगाहर्ट्ज (100 मेगाहर्ट्ज) में दो खंडित खंडों में केवल 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए तत्काल उपलब्ध हैं और शेष 300 मेगाहर्ट्ज 6725-7025 मेगाहर्ट्ज आवृति रेंज में दिसंबर 2030 तक उपलब्ध होगा। इसे ध्यान में रखते हुए कम विकसित पारिस्थितिकी तंत्र और खंडित तरीके से केवल 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की उपलब्धता को देखते हुए 6 गीगाहर्ट्ज की नीलामी के लिए उपयुक्त समय का पता लगाने की आवश्यकता है।

(घ) आईएमटी आधारित सेवाओं के लिए कुल 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की रीफार्म किया जाना है।

3. दूरसंचार विभाग ने संदर्भ के माध्यम से मौजूदा और नए आईएमटी बैंडों में सरकार के पास उपलब्ध एलएसए-वार स्पेक्ट्रम की मात्रा भी प्रदान की है।

4. दिनांक 15.05.2025 के संदर्भ के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा अधिनियम 1997 के खंड 11(1)(ए) की शर्तों के तहत भादूविप्रा से अनुरोध किया कि -

(क) मौजूदा बैंड अर्थात 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 26 गीगाहर्ट्ज बैंड *में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलामी किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और संबंधित शर्तों पर सिफारिशें प्रदान करना।*

(ख) नए चिन्हित 6425-6725 मेगाहर्ट्ज और 7025-7125 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए नीलामी की संभावनाओं और नीलामी के समय का पता लगाना। तदनुसार, नीलामी के समय, लागू आरक्षित मूल्य, बैंड योजना, ब्लॉक आकार, नीलामी किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा और इन बैंडों में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए संबंधित शर्तों पर अनुशंसाएं प्रदान करें।

(ग) *600 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए पुन: जांच करना और नई अनुशंसाएं प्रदान करना।*

(घ) *इन आवृत्ति बैंडों में स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य अनुशंसाएं प्रदान करना, जिसमें आईटीयू के नवीनतम एनएफएपी/रेडियो विनियमों के संगत प्रावधानों में यथा प्रतिपादित विनियामक/तकनीकी अपेक्षाएं शामिल हैं।*

5. भादूविप्रा ने दिनांक 15.05.2025 के संदर्भ की जांच की और दिनांक 19.06.2025 के एक पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग से कुछ अतिरिक्त जानकारी/ स्पष्टीकरण मांगा। इसके उत्तर में दूरसंचार विभाग ने दिनांक 14.08.2025 के एक पत्र के माध्यम से अपेक्षित जानकारी/ स्पष्टीकरण प्रदान किया। महत्वपूर्ण रूप से दिनांक 14.08.2025 के पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से सरकारी उपयोगकर्ता को निरंतर 24 मेगाहर्ट्ज ब्लॉक आवंटित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1427-1518 मेगाहर्ट्ज के बीच 67 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए एक संभावित बैंड योजना की सिफारिश करने का अनुरोध किया।

6. इस संबंध में, हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (आईएमटी) के लिए चिन्हित आवृत्ति बैंडों में रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम की नीलामी' पर एक परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 28 अक्टूबर 2025 तक लिखित टिप्पणियाँ और 11 नवम्बर 2025 तक प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गयी हैं।

7. टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 30/9/25

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा